कठोर तथ्य बताने का कर्त्तव्य निभाता हूं। जो कुछ हो रहा है, उससे मुझे शर्म महसूस होती है और मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस समय भी सब से अच्छी बात यह है कि अपराधी का पता लगाया जाये और उसे ऐसा दण्ड दिया जाये जो दूसरो के लिये उदाहरण बने किन्तु कृपा करके निर्दोषों को न तो सताया जाये और न ही परेशान किया जाये क्योंकि केवल इसी से ही इस क्षेत्र में तनाव समाप्त होगा। इस समय की आवश्यकता यह है कि तनाव को समाप्त किया जाये तथा वहां शांतिपूर्वक परिस्थितियां पैदा की जायें।

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : मैं सभी माननीय सदस्यों की व्यथापूर्ण भावनाओं से सहमत हूं। हम सभी इस बात को महसूस करते हैं कि इन में कुछ भावनाओं को व्यक्त करने के लिये हमारे लिये वाद विवाद का किया जाना आवश्यक है। किन्तु इससे कोई समाधान नहीं निकलेगा। जैसे ही मैंने पिपरा की दुखद घटना के बारे में सुना, वैसे ही मैंने गृह मंत्री को वहां जाने के लिये कहां और वह वहा कुछ प्रारम्भिक पग उठाने में सफल हुए जिनसे लोगों को फिर से कुछ आश्वासन मिला। वे पग कितने कारगर रहे हैं, उनके बारे में तो बाद में ही बताया जा सकता है। हम यहां जिम्मेदार नागरिक के रूप में हैं जिन्हे अपने देश पर गर्व है। अतः हमारी और भी जिम्मेदारी हो जाती है कि हम समाज को उन खराबियों से उन शर्मनाक खराबियों से शुद्ध करें जैसा कि स्वयं माननीय सदस्यों ने कहा है, केवल इन्ही के कारण ही हमें शर्म महसूस करना पड़ता है और इन्ही के कारण ही हमें अपने आत्म सम्मान से वंचित होना पड़ता है।

मैंने राष्ट्रीय एकता परिषद् की पुनः स्थापना करने का निर्णय किया है। यह एक हल नहीं है प्रत्युत यह तो केवल एक हथियार है। सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह अपने हरिजन तथा आदिवासिसी भाईयों और बहनों को पूर्ण रक्षा के लिये फिर से आश्वासन दे। इसके अतिरिक्त अपराधी को अवश्य ही दण्ड दिया जाना चाहिये।

यह एक नयी समस्या नहीं है। जैसाकि कईयों ने बताया है कि यह हजारों वर्ष पुरानी समस्या है, इन पुरानी खराबियों को एक दम उखाड़ फैकना आसान काम नहीं है। इसके कारण अधिकांशतः आर्थिक है किन्तु, उनके साथ परम्परागत सामाजिक रवैये जुड़े हुये है। नागरिकों की सुरक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी तो है ही, न केवल संसद्-सदस्यों अपितु विचारशील और जिम्मेदार भारतीय नागरिकों के रूप में जातिवाद और साम्प्रदायिकता को समाप्त करने की दिशा में कार्य करना हम सबका उत्तरदायित्व है। ये दोनों वाद विष की ही किस्में हैं जो लोगों को अमानवीय कार्यों के लिये प्रेरित करते हैं जिसके फलस्वरूप वे भूल जाते हैं कि वे मनुष्य हैं और कि दूसरे लोग भी उनकी तरह ही मनुष्य है और उन्हें भी जिन्दा रहने, रोज़ी कमाने, प्यार करने तथा कार्य करने का अधिकार है। यह एक ऐसी बात है जो केवल किसी सरकार अथवा किसी सरकारी कार्यवाही द्वारा ही दूर नहीं की जा सकती। इसे लोगों के आन्दोलन द्वारा ही दूर किया जा सकता है। महात्मा गांधी ने इसे ऐसा बनाने का प्रयास किया था। अपने स्वतंत्रता संघर्ष में हम केवल राजनीतिक व स्वतंत्रता के लिये नहीं लड़े थे। हमने इस संघर्ष के अंश के रूप में आर्थिक अन्याय के विरुद्ध, सभी भारतीयों के सामाजिक अपमान विशेषकर कि हरिजनों, आदिवासियों तथा बहुत ही कमज़ोर वर्गों के, जिनकी कोई आवाज नहीं थी, जिनका कोई संगठन नहीं था, अपमान के विरुद्ध भी लड़े थे। आज स्थिति बिल्कुल उसी तरह की नही है, इस में पर्याप्त रूप से परिवर्तन हो चुका है, मुख्य रूप से यह परिवर्तन ही है जो कि इस

गड़बड़ का अंश भी है और स्वयं गड़बड़ का कारण भी है। ज्यों ही उन्होंने अपने अधिकारों को जताना शुरू किया, ज्यों ही उन्होंने अपने सिर ऊपर उठाकर खड़ा होना चाहा त्यों ही उनपर अत्याचारों तथा परेशानियों की बोछाड़ पड़ी। हम एक राष्ट्र के रूप में इसे झेल रहे हैं, क्योंकि कुछ विकसित राष्ट्रों का हमारे प्रति यही रवैया है। वे कहते हैं कि ये गरीब लोग कैसे साहस करते हैं, जो डराये धमकाए जाते थे, जो हमारी बात सुनते थे वे लोग खड़े हो सकते हैं तथा अपने अधिकारों को जता सकते हैं। यह एक ऐसी चीज़ है जिससे हमें एक राष्ट्रीय समस्या के रूप में निपटना होगा। मैं यह जानती हूं। जब राजनीतिज्ञ बात करते हैं, चाहे कितना ही इससे बचने का प्रयास किया जाये, तो उसमें राजनीति आ ही जाती है। मैं किसी भी व्यक्ति पर दोष नहीं डालना चाहती। अतीत तो अतीत ही है। किन्तु हम अतीत को हटा नहीं सकते, हमें अतीत से अवगत रहना होगा। किन्तु अब हमें यह देखने का प्रयास करना होगा कि किस प्रकार हम मिल बैठकर विचार कर सकते हैं और किस प्रकार हम उचित वातावरण बना सकते हैं। यह एक ऐसी बात नहीं है जिसे हम केवल यहां बैठकर अथवा एकता परिषद् में बैठ कर ही कर सकते हैं। इसे स्थानीय स्तर पर करना होगा। यदि लोगों के किसी ग्रुप को रक्षा करनी हो, तो मूलतः पड़ौसी ही उनकी रक्षा करेंगे। उन क्षेत्रों से तथा प्रत्येक क्षेत्र से संसद संदस्यों के रूप में हमारा यह कार्य होना चाहिये कि कैसे उस वातावरण को पैदा किया जाए जिसमें लोग बर्बरता पूर्ण व्यवहार न करें क्योंकि हमारे सभी निर्वाचन क्षेत्रों में हरिजन हैं और उनमें आदिवासी भी हो सकते हैं चाहें उनकी भावनाओं को कितना ही क्यों न उकसाया जाये, चाहे वह यह भी महसूस करते हो कि इसमें बदले का कारण बनता है एक गलत काम जब होता है, तब तुरन्त पीड़ितों के मन में यह भावना उठती है कि उन्हें इसका बदला अवश्य लेना चाहिये। यदि हम एक ऐसा वातावरण पैदा करें कि यह बात गलत है, कि इस बात को भारतीय समाज में नहीं किया जाता और इसे भारतीय समाज में स्वीकार नहीं किया जायेगा। सुरक्षा के लिये सभी संभव प्रशासनिक एवं अन्य उपाय करने तथा अपराधी को दण्ड देने के अतिरिक्त मेरे विचार में यही एक मात्र समाधान है। इसके लिये कोई अल्पकालीन समाधान नहीं है। इसके अतिरिक्त मैं यह कहना चाहूंगी कि मेरे विचार में ऐसी घटनायें फिर नहीं होंगी। ईमानदारी से मैं ऐसा नहीं कह सकती। हम केवल यह बता सकते हैं। कि हम भरसक प्रयास करेंगे कि ऐसी घटनायें न हों और मुझे आशा है कि हमें इस प्रयास में लोगों के सभी वर्गों का पूर्ण सहयोग मिलेगा।

वर्ष 1980–81 के लिये गेहूं और चने के मूल्य और वसूली नीति के बारे में वक्तव्य

कृषि मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह राव): श्रीमन् जी, मैं 1980-81 के रबी के विपणन मौसम के लिये गेहूं और चने के मूल्य और वसूली नीति के बारे में वक्तव्य देना चाहता हूं ...(व्यवधान)... मैं पहले निर्धारित समय पर इस वक्तव्य को न दे सकने के लिये क्षमा मांगता हूं।

कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन रही हैं और सरकार ने रबी विपणन मौसम 1980–81 के लिए गेहूं और चने की मल्य और वसूली नीति के बारे में निम्नलिखित निर्णय लिए हैं :—

(1) गेहूं का समर्थन मूल्य 117/–रुपये प्रति क्विंटल और चने का 145/–रुपये प्रति क्विंटल होगा ;

(2) केन्द्रीय पूल से गेहूं का निर्गम मूल्य 130/–रुपये प्रति क्विंटल के मौजूदा स्तर पर बना रहेगा ;

(3) देश भर में अनाजों का अबाध संचलन जारी रहेगा ; सारे देश को इस प्रयोजन के लिए एक ही ज़ोन के रूप में समझा जाएगा ; और

(4) क्योंकि वसूली मूल्य समर्थन देने के लिए की जाएगी इसलिए वसूल की जाने वाली मात्रा का कोई औपचारिक लक्ष्य नहीं होगा ।

2. सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि मूल्य समर्थन देने के लिए इस दिशा में खरीदारी करने के लिए पर्याप्त प्रबन्ध किए जाते हैं । तथापि, इस मामले में प्रमुख जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। राज्य सरकारों और सरकारी एजेंसियों की अड़चनों को दूर करने और जिन क्षेत्रों में वसूली की जाती है वहां खरीद केन्द्रों का व्यापक जाल बिछाने में उनकी मदद करने के लिए सभी प्रयत्न किए जाएंगे।

7.52 म०प०

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 14 मार्च, 1980/24 फाल्गुन, 1901 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।